"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 512] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2015—— कार्तिक 6, शक 1937

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-230/गृह-सी/2006. —— यत:, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979), की धारा-4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 02 सितम्बर, 2015 से 03 माह के लिये निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिशेध करती है, अर्थात् :-

"विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा ट्रेडिंग के लिए बोर्ड, जिसमें इसके उत्तरवर्ती शामिल हैं, के द्वारा नियुक्त सभी वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालक सहित कार्यकारी तथा सभी कार्मिक (जिसमें अधिकारी, कर्मचारी एवं लिपिकवर्गीय कार्मिक सम्मिलित हैं)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 4-230/गृह-सी/2006. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्र. एफ 4-230/गृह-सी/2006, दिनांक 16-10-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 16th October 2015

NOTIFICATION

No. F 4-230/Home-C/2006. — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified below;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government, hereby, prohibits refusal to work in the following essential services with effect from 02 September, 2015 for 03 Months, namely :-

"All Scientific, technical, executive including operative and all personnel (which includes officers, employees and ministerial personnel) appointed by the Board including its successors for Electricity generation, transmission, distribution and Trading."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.